नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी लोक अदालत केम्प कोर्ट–देसूरी

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश गेवाडा आर.ए.एस.**
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 112/2016
दायरा तिथि : 11.07.2016
निर्णय तिथि : 27.05.2017

वादीः–
नेनाराम पुत्र कुपारामजी
जाति सिरवी निवासी देसूरी
तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. टेकाराम पुत्र गमनारामजी
2. भानाराम पुत्र हकारामजी
3. नेनूबाई पत्नि मदनलालजी
4. भेराराम पुत्र हेमाराम
5. वजाराम पुत्र हेमाराम
6. कसाराम पुत्र मूलारामजी
7. चेलाराम पुत्र मूलारामजी
8. हीराराम पुत्र मूलारामजी
9. मोहनलाल पुत्र मगारामजी
10. गोमाराम पुत्र मनारामजी
11. पोमाराम उर्फ पेमाराम पुत्र मनारामजी
12. हीराराम पुत्र मनारामजी
13. डायाराम पुत्र कुपारामजी
14. मदनलाल गोद पुत्र भानारामजी
    तमाम जातिगण सिरवी, निवासीगण देसूरी
    तहसील देसूरी, जिला पाली (राजस्थान)
15. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

: निर्णय :

दिनांक : 27.05.2017

दावा बाबत 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार, विर देसूरी मे पेश हुई। पक्षकारान् को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये जो शामिल मिसल ये गये। वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 व 8 उपस्थित। उपस्थित पक्षकारो को सुना ा। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया प्रकरण का निस्तारण उपलब्ध रिकार्ड अनुरूप मेरीट पर निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत हैं।

पेज लगातार––2

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

पेज संख्या–2 पर.....

नेना १२।१२

राजस्व वाद संख्या 112/2016 अनवान नेनाराम बनाम टेकाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात सरहद मौजा देसूरी के खसरा संख्या 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 187, 188, 189, 190, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 316 कुल खसरा 62 कुल रकबा 24.530 हैक्टर कुल लगानी 539.03 रूपये के संबंध मे अधिकार अभिलेखो मे दर्ज हिस्सा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का देसूरी को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारो के मध्य रेकर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि, लगान ईत्यादि दर्शाते हुये तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **27.05.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
देसूरी (पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
दिनांक 27.05.2017

क्रमॉक/केम्प कोर्ट/2017/
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :–

1. तहसीलदार, देसूरी
2. पटवारी हल्का, देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
देसूरी (पाली)
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–देसूरी

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) देसूरी

प्रपत्र 5

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**

वादी:–
मेनाराम पुत्र कुपारामजी
जाति सिरवी निवासी देसूरी
तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. टेकाराम पुत्र गमनारामजी
2. भानाराम पुत्र हकारामजी
3. नेनूबाई पत्नि मदनलालजी
4. भेराराम पुत्र हेमाराम
5. वजाराम पुत्र हेमाराम
6. कसाराम पुत्र मूलारामजी
7. चेलाराम पुत्र मूलारामजी
8. हीराराम पुत्र मूलारामजी
9. मोहनलाल पुत्र मगारामजी
10. गोमाराम पुत्र मनारामजी
11. पोमाराम उर्फ पेमाराम पुत्र मनारामजी
12. हीराराम पुत्र मनारामजी
13. डायाराम पुत्र कुपारामजी
14. मदनलाल गोद पुत्र भानारामजी
    तमाम जातिगण सिरवी, निवासीगण देसूरी
    तहसील देसूरी, जिला पाली (राजस्थान)
15. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

दावा बाबत **53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
मुकदमा नम्बर :– **112/2016**
निर्णय दिनांक :– **27.05.2017**

वादी की ओर से **वादी स्वयं** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादीगण संख्या–2, 3, 4 व 8** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **27.05.2017** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

सरहद मौजा देसूरी के खसरा संख्या 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 187, 188, 189, 190, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 316 कुल खसरा 62 कुल रकबा 24.530 हैक्टर कुल लगानी 539.03 रूपये के संबंध मे अधिकार अभिलेखो मे दर्ज हिस्सा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का देसूरी को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारो के मध्य रेकर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि, लगान ईत्यादि दर्शाते हुये तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण में नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)